

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-37/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मधुमिता प्रियदर्शिनी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर का दिनांक-19.05.2022 से 09.10.2025 तक उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2406(25) दिनांक-12.12.2022 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है :-

i.	दिनांक-19.05.2022 से 19.06.2022 तक	- कुल -32 (बत्तीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-20.06.2025 से 24.06.2025 तक	- कुल-05 (पाँच) दिन पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iii.	दिनांक-25.06.2025 से 01.07.2025 तक	- कुल-07 (सात) दिन असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
iv.	दिनांक-10.07.2025 से 09.10.2025 तक	- कुल-92 (बानवे) दिन असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1.

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-37/2026-

पटना, दिनांक 17 / 05 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार, पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० मधुमिता प्रियदर्शिनी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।  
A